हुक्म

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/18 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2018/00083

उनवान

1. श्रीचन्द पुत्र सांवलिया जाति बघेला निवासी जागीरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर।
2. हलुके पुत्र लालपति जाति बघेला निवासी ग्राम जागीरपुरा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर दि0 16.03.2018 मि.नं. 44/16 उनवानी हलुके बनाम तहसीलदार सैपऊ।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री अमित बघेला उपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ में एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कौलारी तहसील सैपऊ में स्थित है जिसके वादी अपीलाण्ट 1/2 भाग यानी साढे तीन विस्वा आराजी के खातेदार काश्तकार हैं एवं शेष 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 श्रीचन्द हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ ने विवादित आराजी का बॅटवारा आपसी सहमति से राजस्व लोक

अदालत में दिनांक 14.06.2016 में कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/रैस्पो0 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहाँ अपील दायर की जो दिनांक 16.03.2018 से आंशिक स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ के आदेश 14.06.2016 को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। यह है कि धरा 96(3) जाप्ता दीवानी में स्पष्ट प्रावधान दिये गये हैं कि पक्षकारान की सहमति से पारित किसी आदेश या निर्णय की अपील पोषणीय नहीं है। बाबजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानो की अनदेखी करते हुये मनमाने तौर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना है कि वर्तमान में विस्वांसी दर्ज करने का चलन नहीं है। इस प्रकार एक पक्ष को 3 विस्वा व दूसरे पक्ष को 4 विस्वा ही आराजी आयेगी। इसके बाबजूद प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 एक अनपढ व्यक्ति है जिसे अपीलाण्ट ने विश्वास में लेकर उससे छपे हुये प्रपत्र पर अंगूठा निशानी करा लिये। जिसे पढकर भी नहीं सुनाया। विभाजन के स्पष्ट नियम हैं कि विवादित आराजी में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का पक्षकार के मध्य बराबर विभाजन किया जाना होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर ने उचित रूप से ही प्रकरण को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर ने प्रकरण को रैस्पो0 हलुके के अनपढ होने एवं श्रीचन्द अपीलाण्ट के विश्वास में, छपे हुये प्रपत्र पर अंगूठा निशानी करा लेने के तथ्य के आधार पर उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुये विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई

गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। बॅटवारानामा पर भी उभयपक्ष के खास भाई/पुत्र गवाह के रूप में हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः उन्हें भी स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता है। विभाजन के स्पष्ट प्रावधान हैं कि सभी पक्षकारान को बराबर एवं अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बॅटवारा किया जाना चाहिये। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के निर्णय 16.03.2018 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर